IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण :मध्य प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

आनंद तिवारी
शोध छात्र, राजनीती विज्ञान एवं लोक प्रशासक विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)

सारांश: मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्पूर्ण भारत वर्ष में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है । यह प्रावधान कही-न-कही लैंगिक समानता की ओर प्रदर्शित किया है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है, उत्पादकता और विकास में तेजी आयी है । प्रस्तुत लेख में मध्य प्रदेश के पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका एवं पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वितीयक आंकड़ों का संकलन कर, विश्लेषण एवं निर्वचन किया है । इससे यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है परन्तु इसके बावजूद भी प्रदेश में लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अच्छे काम तक पहुंच की कमी है और उन्हें व्यावसायिक अलगाव और लैंगिक वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है । उन्हें अक्सर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है । यहाँ तक कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है । आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है ।

शब्द कुंजी- मध्य प्रदेश; पंचायती राज; महिला सशक्तिकरण

I. प्रस्तावना

भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में ही कुछ प्रांतों में पंचायती राज व्यवस्था किसी न किसी रूप में चल रहा था।वर्ष 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशें स्वीकार कर ली तथा राज्यों को प्रेरित किया कि वे यह व्यवस्था अपनाएं । इस प्रकार सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा द्वारा सितम्बर, 1959 में उपयुक्त अधिनियम पारित किया गया जिसके आधार पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में पण्डित जवाहरलाल नेहरु ने देश के प्रथम त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया । यह त्रि-स्तरीय पंचायत जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था । मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसने भारतीय संविधान के **73**वें संशोधन अधिनियम **1992** के अनुरूप **"**मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम**,1993"** तैयार कर प्रदेश की विधानसभा से पारित किया। दिनांक **25** जनवरी **1994** को महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने पर उसे **26** जनवरी **1994** से प्रदेश में इसे प्रभावशील किया गया । संविधान संशोधन अधिनियम **1992** के अनुच्छेद **243** छ की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित **29** विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों को त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया । उपरोक्त व्यवस्था के तहत प्रदेश में वर्तमान में **22719** ग्राम पंचायतें **313** जनपद पंचायतें एवं **51** जिला पंचायतें स्थापित हैं । जिनमें **3.92** लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभा रहे हैं ।

II. शोध समीक्षा

सिंगला, पामेला (2016), 'विमेंस पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज : नेचर एंड इफेक्टिवनेस' (ए नार्थ इंडियन पर्सपेक्टिव) प्रस्तुत किताब में बताया गया है कि **73** वें संविधान संसोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी व्यापक रूप बढ़ा है । ग्रामीण महिलाओं के मुद्दों तथा चिंताओं को बदलती स्थिति के सन्दर्भ में बताया गया है । पंचायतों के तीनों स्तर पर चयनित सदस्यों से महिला-पुरुष प्रतिनिधियों के अनुपात में हुए बदलावों का परीक्षण करते हुए पंचायत में महिला तथा पुरुष नेतृत्व की कार्यप्रणालियों का अध्ययन किया गया है । चयनित महिला सदस्यों में अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करते हुए महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया गया है जिसमें सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रस्थिति के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है ।

कुमार, रमेश (2013)'डीसेंट्रलाजेसन एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ़ वीमेन इन इंडिया' प्रस्तुत लेख में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को भारतीय परिप्रेक्ष्य में बढ़ाने में विकेन्द्रीकरण की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है । महिलाएं ऐतिहासिक रूप से लम्बे समय तक राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रही हैं । यह लेख इस बात का परीक्षण करता है कि विकेन्द्रीकरण ने किस तरह महिला नेतृत्व को प्रभावित किया है । पहला विकेन्द्रीकरण स्वतः ही महिलाओं के प्रति जिम्मेदार नीतियाँ उत्पन्न करता है और दूसरा विकेंद्रीकरण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है जिसकी परिणिति महिला उन्मुखी नीतियाँ होती हैं । पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से महिलाओं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

की परम्परागत स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है । यह लेख राज्य विधानसभाओं तथा केंद्रीय संसद में भी महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित किये जाने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करता है ।

अम्बेडकर तथा **नागेन्द्र, शैलजा** (2006), 'रोल ऑफ़ वीमेन: इन पंचायती राज' इस लेख से यह प्रदर्शित होता है कि पंचायती राज संस्थाओं को हमेशा से सुशासन के उपकरण के तौर पर देखा जाता रहा है । पंचायती राज संस्थाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं के होने से ना सिर्फ पंचायतें अधिक प्रतिनिध्यात्मक होंगी बल्कि अधिक, ईमानदार, अनुशासित तथा जिम्मेदार होंगी । प्रस्तुत किताब में पंचायत के मामलों में महिला पंचायत सदस्यों की अनुभूति तथा उन्मुखता का आँकलन करने का प्रयास किया गया है । पंचायतों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया गया है । पंचायती राज व्यस्था में महिला नेतृत्व की भूमिका का परीक्षण करते हुए ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा काम करने या न करने के सम्बन्ध में तथा पंचायतों के माध्यम से प्रशासनिक सुशासन का मूल्यांकन लोगों की राय के आधार पर किया गया है ।

III.शोध का उद्देश्य

- मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करना ।
- मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना ।

IV.शोधप्राविधि

अध्ययन के औचित्य से सम्बंधित वास्तविक तथ्यों के संकलन हेतु इस शोध-पत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसके के लिए विभिन्न शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल आदि से संकलित किया गया है । इसके बाद संकलित आंकड़ों को वर्गीकरण एवं सरणीकरण किया गया । पुनः इन आंकड़ों को विश्लेषण कर निर्वचन किया गया है ।

4.1 मध्य प्रदेश में पंचायती राज

मध्य प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसने भारतीय संविधान के **73** वें संशोधन अधिनियम **1992** के अनुरूप "मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम,**1993**" तैयार कर प्रदेश की विधानसभा से पारित किया। दिनांक **25** जनवरी **1994** को महामहिम राज्यपाल महोदय

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

की स्वीकृति प्राप्त होने पर उसे **26** जनवरी **1994** से प्रदेश में इसे प्रभावशील किया गया । संविधान संशोधन अधिनियम **1992** के अनुच्छेद **243** छ की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित **29** विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों को त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया । उपरोक्त व्यवस्था के तहत प्रदेश में वर्तमान में **22719** ग्राम पंचायतें **313** जनपद पंचायतें एवं **51** जिला पंचायतें स्थापित हैं । जिनमें **3.92** लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभा रहे हैं ।

4.2 मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की निम्नलिखित विशेषताएँ

- **73**वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य है ।
- मध्य प्रदेश के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है जो जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है ।
- प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक के दिनांक से आगामी पाँच वर्ष तक का होगा ।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पदों के आरक्षण की व्यवस्था है ।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आधे से कम पदों के आरक्षण होने पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिये **25** प्रतिशत स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है ।
- तीनों स्तर की पंचायतों के कुल पदों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है ।
- अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है ।
- अध्यक्ष जिला एवं जनपद पंचायत एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम से किये जाने का प्रावधान है ।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबन्ध अधिनियम **1996** के प्रावधानों को प्रदेश के पंचायत राज एवं आरति ग्राम स्वराज अधिनियम में समाहित करने हेतु संशोधन किया जाकर इस अधिनियम के प्रावधान जोड़े गये हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

- अनुसूचित क्षेत्र की सभी पंचायतों के प्रमुख सरपंच के स्थान अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किए गये हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या पंच द्वारा न की जाकर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता किए जाने का प्रावधान किया गया है ।
- अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है ।
- ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों का, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करने का प्रावधान है ।
- अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएँ सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान है ।
- प्रदेश में **73**वें संविधान संशोधन के प्रावधान अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें लागू की जाकर उनकी अनुशंसा के अनुरूप पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।
- संविधान के अनुच्छेद **243** छ के अन्तर्गत **11**वीं अनुसूची में वर्णित **29** विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गये हैं। राज्य के 23 विभागों की ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम का पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरण किया गया है ।
- योजनाएँ/कार्यक्रम जो पंचायतराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये हैं से संबंधित बजट एवं अमला भी सौंपा गया है ।

4.3 महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकारण का अर्थ है नारी शक्ति, जो उन्हें अपने अधिकारों का सही प्रयोग करने में सक्षम बनती है, समाज में पीछे नहीं रहती है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने निर्णय ले सकती है और सिर उठा समाज में चल सकती है। महिला सशक्तिकारण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनका अधिकार देना है। महिला आरक्षण के माध्यम से ही पहली बार महिलाएं नए

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

प्रावधानों से निर्वाचित होकर राजनितिक सहभागी बनीं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के पतियों ने निभाई है, यदि पति की राजनीति में रूचि नहीं है तो निर्णय अभिजात वर्ग और राजनितिक दलों के प्रभावशाली नेताओं द्वारा प्रभावित होते है। इन महिला प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी की कमी ने उन्हें संकीर्ण व्यवहार पर निर्भर बना दिया है, जिसका लाभ प्रभावशाली सत्ता के पुरुषों द्वारा उठाया जा रहा है जो पहले से ही राजनीति में उतर चुके है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई अवसर प्रदान किए गए है लेकिन उनमें कहीं-न-कहीं प्रशिक्षण की कमी है जिसके वजह से समाज में अपनी स्वतंत्र भूमिका नहीं निभा पा रही है।

मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ पर महिलाओं की जनसँख्या कुल जनसँख्या का 48.2 प्रतिशत है जबकि पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधत्व करता है।

4.4 मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की अधिक भागीदारी के कारण स्थानीय स्तर पर उनके जीवन में बदलाव आया है। महिला प्रतिनिधियों की शक्ति ने न केवल जातीय रूप बल्कि आर्थिक और सामाजिक समीकरण को भी बदल दिया है।महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, राजनीति में महिलाओं की स्वीकृति को पंचायतों द्वारा बढ़ावा दिया गया है।पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने और उन्हें ग्रामीण विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यदि इस कार्य में अधिक जागरूकता लाई जाए तो (चाहे मजदूरी रोजगार हो या स्वरोजगार) महिलाओं को विशेष महत्त्व देकर गांवों का विकास किया जा सकता है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान से लेकर उनमें कई बदलाव देखने को मिले है। विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से वे बदल गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। पुरुषों के साथ काम करने में महिलएं जिस चीज से झिझकती थी या काम करने से डरती थी वह अब कम हो रही है। अब वह आसानी से पंचायत स्तर के उच्चधिकारियों से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने में सक्षम है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अब केवल आरक्षण के माध्यम से राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

तालिका -1: मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व वर्ष-2004-05

क्रमांक स.	विवरण	निर्वाचित पदों की संख्या	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिशत
1.	जिला पंचायत सदस्य	836	**351**	**41.98**
2.	जनपद पंचायत सदस्य	6811	**2627**	**38.56**
3.	सरपंच	22731	**8394**	**36.93**
4.	पंच	360954	134864	**37.36**

स्रोत: ***https://mplocalelection.gov.in***

तालिका-1 में वर्ष 2004-05 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है । इस वर्ष निर्वाचित पदों की संख्या में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 836, जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या 6811, सरपंचों की संख्या 22731 एवं पंचों की संख्या 360954 है । जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या **351**, **2627**, **8394** और 134864 है जिसका प्रतिशत क्रमशः **41.98**, **38.56**, **36.93** और **37.36** है ।

क्रमांक स.	विवरण	निर्वाचित पदों की संख्या	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिशत
1.	जिला पंचायत सदस्य	841	491	**58.38**
2.	जनपद पंचायत सदस्य	6774	3803	**56.14**
3.	सरपंच	22807	14178	**62.16**
4.	पंच	360892	171093	**47.41**

स्रोत: ***https://mplocalelection.gov.in***

तालिका-2 में वर्ष 2014-15 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है । इस वर्ष निर्वाचित पदों की संख्या में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 841, जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या 6774, सरपंचों की संख्या 22807 एवं पंचों की संख्या 360892 है । जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 491,3803, 14178 और 171093 है जिसका प्रतिशत क्रमशः **58.38**, **56.14**, **62.16** और **47.41**है ।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

आकृति : 1, मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व वर्ष-2004-05 और 2014-15

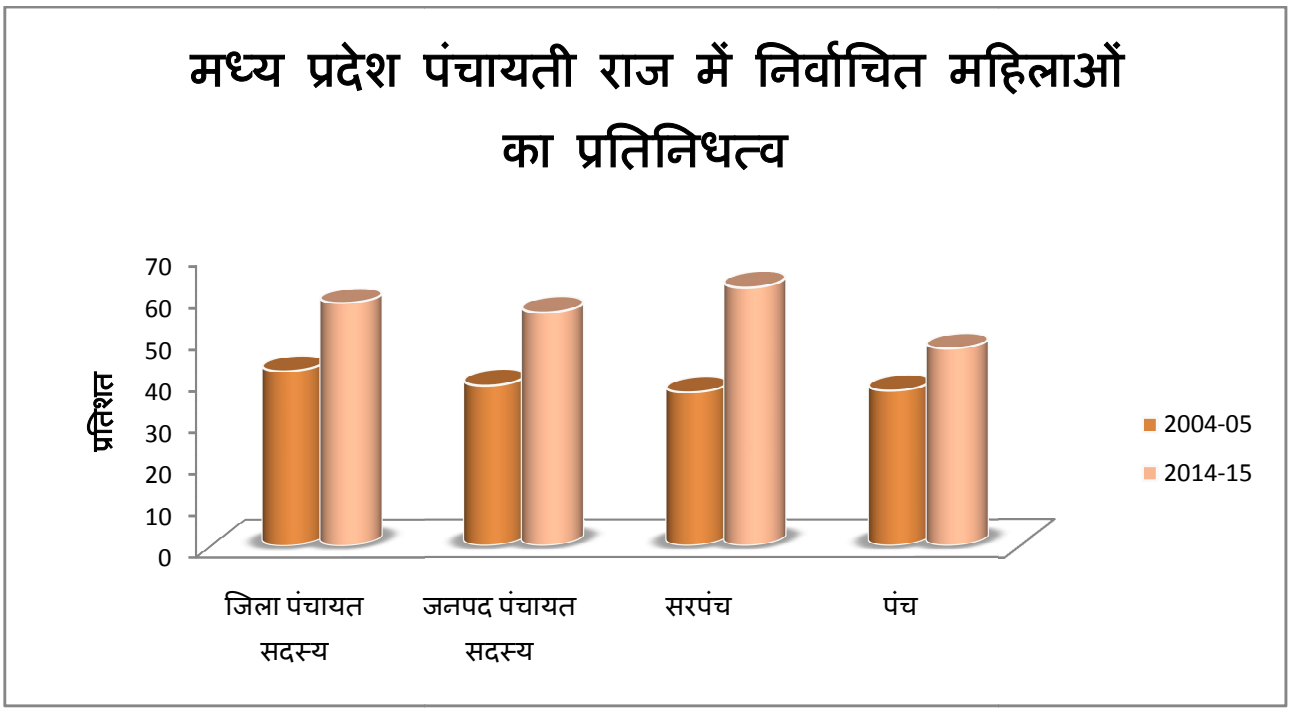

V. परिणाम

तालिका-1 एवं तालिका-2 से यह ज्ञात होता है कि 10 वर्ष बाद मध्यप्रदेश पंचायती राज में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ा है । वर्ष 2004-05 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायती राज में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत जिला पंचायत सदस्यों के अंतर्गत **41.98**, जनपद पंचायत सदस्यों के अंतर्गत **38.56**, सरपंचों की प्रतिशत **36.93** एवं पंचों की प्रतिशत **37.36** है जो यह बढ़कर वर्ष 2014-15 में क्रमशः **58.38**, **56.14**, **62.16** और **47.41** प्रतिशत हो गया हैजिसको उपर्युक्त आकृति-1 के द्वारा दर्शाया गया है । आकृति से यह भी प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2004-05 के तुलना में वर्ष 2014-15 में सरपंच पदों पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है ।

VI. निष्कर्ष

वर्तमान समय में देखा जाए तो देश की स्थानीय स्वशासन में काफी बदलाब हुई है । मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ता जा रहा है । वर्ष 2004-05 के तुलना में वर्ष 2014-15 में पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ी है और उन्हें पंचायत में नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ी है । देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर निर्वाचित

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसके बावजूद भी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट-2020 के अनुसार मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधियों की कुल संख्या 3,92,981 है जिसमें से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या 1,96,490 है जो लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या पंचायती राज ने महिला सशक्तिकरण में वृद्धि की है और यदि हुई है तो किस हद तक हुई है ? वास्तव में महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक रूप सशक्त करना । प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार, महिला साक्षरता दर 59.2 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर मात्र 52.4 प्रतिशत है जो कहीं-न कहीं महिला सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है । आंकड़ों से भले ही यह प्रदर्शित होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा है परन्तु जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे तब तक महिलाओं को सशक्त होना संभव नहीं है । शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा महिला स्वंय को मजबूत महशुश एवं बेहिचक निर्णय ले पाता है ।

सन्दर्भ-सूची

[1]. अली, परवेज और पाण्डेय, आशुतोष (2021), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका: झारखण्ड के विशेष सन्दर्भ में, अपनी माटी.

[2]. झा, प्रीती (2021), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, सरपंच और सभी 13 पंच महिलाएं, https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-50-percent-reservation-for-women-in-panchayati-raj-institutions-sarpanch-and-all-13-panch-women-22784146.html 08 जून 2022, 1:53PM

[3]. सिंह, सीमा एंड अंतरा (2020), वोमेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस, ताप्ति युजीसी जर्नल, 19(44),पृष्ठ-227-253.

[4]. पंचायत निर्वचन 2020, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 2019

[5]. कुमार, संतोष (2019), पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2(2), पृष्ठ-25-29.

[6]. पूनम (2019), एस्टडी ऑन पोलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ़ वोमेन इन लोकल गवर्नेंसइन हरयाणा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिविएव, 6(1)पृष्ठ-293-300.

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

[7]. सिंगला, पामेला, विमेंस पार्टिसिपेशन इन पंचायतीराज : नेचर एंड इफेक्टिवनेस (एनार्थ इंडियनपर्स पेक्टिव), रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016.

[8]. ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच एवं पंचप्रशिक्षण मार्गदर्शिका 2015 म. प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश.

[9]. मीना, सोनू (2014), पंचायतीराज में महिला नेतृत्व : सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन, कोटा विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान संकाय, पृष्ठ-1-272.

[10].कुमार, रमेश (2013), डीसेंट्रलाजेसन एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ़ वोमेन इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ़ फ़ेडरल स्टडीज, वॉल्यूम 14.

[11].अम्बेडकर एंड नागेन्द्र शैलजा, रोल ऑफ़ वोमेन: इन पंचायतीराज, एबीडी पब्लिकेशन, जयपुर, 2006

[12].https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1658145

[13].मध्यप्रदेश के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, 2014-15*2015-16.